न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 78/2020 जिला भीलवाड़ा

1. धर्मीचन्द पुत्र श्री रामधन जाट जाति जाट आयु 28 वर्ष निवासी–रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)

–अपीलांट

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0) प्रकरण संख्या 01/2019 ना0क0 सरकार बनाम धर्मीचन्द जाट कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट निर्णय दिनांक 02.05.2019

उपस्थित अभिभाषकः–श्री पृथ्वीराज चौधरी(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः– अनुपस्थित

निर्णय   दिनांकः–29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रहड़ तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 491 रकबा 0.60 हे0 किस्म गैर मुमकीन रास्ता भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संवत 2076 के दौरान पाइपलाईन डालकर अतिक्रमण करने से अपीलांट धर्मीचन्द्र पुत्र श्री रामधन जाट के विरूद्ध राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 1/2019 दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 02.05.2019 से बेदखली, पैनाल्टी वसूले जाने एवं पश्चातवृति अतिक्रमी होने से तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। तहसीलदार के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत की जिसे 8/2019 नम्बर पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने तहसीलदार शाहपुरा का निर्णय यथावत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 23.07.2019 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसे उनके द्वारा दिनांक 29.07.2019 को दर्ज रजिस्टर्ड कर 155/2019 नम्बर दिया गया तथा प्रथम सुनवाई के दौरान ही दिनांक 29.07.2019 को अपीलाधीन निर्णय की पालना बाबत अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया। दिनांक 17.12.2019 को न्यायालय आरएए भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण राजस्व विभाग ग्रुप–6 की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का होने से प्रकरण को न्यायालय हाजा हेतु प्रेषित किया गया है। जिसे दिनांक 25.02.2020 को 78/20 नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपील में निम्न आधार बताये गये है–

1. अपीलांट को गलत तरीके से पश्चातवृति अतिक्रमी बिना साक्ष्य के माना गया है।

2. ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा दिनांक 09.04.2019 को पाईपलाइन डालने हेतु स्वीकृति दी गयी थी। रास्ते की भूमि में कोई अतिक्रमण नही किया गया। अंत में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जायें तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहे। वकील अपीलांट के अनुसार सरकारी रास्ते से अपने खेत तक पाइपलाईन डाली गई थी। उक्त रास्ते का खसरा नम्बर 491 गैर मुमकीन रास्ता है। तहसीलदार ने पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए लगान की पच्चास गुणा पैनल्टी वसूलने , बेदखल करने एवं तीन माह की सजा दी है। जबकि पटवारी रिपोर्ट में पश्चातवृति अतिक्रमी नही माना है। रास्ते की भूमि को पुनः समतल कर दिया है। आरएए न्यायालय से हमें स्टे मिला हुआ है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 04.07.2019 का है और अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 23.07.2019 को ही अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पर बाद एकपक्षीय सुनवाई तत्समय पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2019 को अपीलाधीन आदेश की पालना को रोकते हुए अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया था।

बहस बिन्दुओं पर मनन कियागया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पर्चा मौका दिनांक 02.11.2018 बयान धर्मीचन्द, बयान पटवारी ओमप्रकाश योगी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 02.05.2019 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के निर्णय के अनुसार **''मैने पत्रावली में का अधोपांत अवलोकन किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट से अतिक्रमण स्थल अप्रार्थी के नाम नियमन योग्य होना नहीं पाया जाता है। अप्रार्थी नियमित अतिचारी होकर पश्चातवृति अतिचारी है एवं अप्रार्थी द्वारा पूर्व में भी अतिचार किया जिससे अप्रार्थी को बेदखल किया गया था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया। इस संबंध में पुनः अतिक्रमण करने हेतु पटवारी द्वारा बयान दिया गया। पटवार हल्का के अनुसार अप्रार्थी नियमित अतिचारी है। अप्रार्थी को पूर्व मे मौके से बेदखल किया गया। किन्तु अप्रार्थी द्वारा पूर्व में बार–बार अतिचार किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी आदतन अतिचारी है। अतिक्रमण की इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः अप्रार्थी को ग्राम ढिकोला की सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 491 रकबा 0.60 हे0 का अतिचारी घोषित किया जाता है तथा अतिचार करने का आदतन प्रवृत्ति के दृष्टिगत अप्रार्थी को तीन माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।''**

आरबीजे 2001 पेज 475 बजरंगा बनाम तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के न्यायिक दृष्टांत अनुसार सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में जो आराजी से प्रार्थीगण को बेदखलन किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली उसके आदेश की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपी रिकोर्ड पर प्रस्तुत करते। उसके पश्चात बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रिकोर्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे। बिना सक्षम साक्ष्य के ऐसा आदेश नहीं पारित किया जा सकता था। वर्तमान प्रकरण पर उक्त फाइण्डिंग सही सही रूप से चस्पा होती है।

तहसीलदार शाहपुरा ने अपने निर्णय में एवं प्रकरण उनवान पूर्व निर्णय एवं पूर्व निर्णय की प्रतिलिपी न्यायालय में लेकर इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है। साथ ही अपने निर्णय में एक जगह ग्राम रहड़ में वितरित भूमि बतायी गयी है तथा निर्णय के क्रियात्मक भाग में ग्राम ढिकोला की भूमि बाबत उल्लेख किया गया जो उचित नहीं है। भूमि को पुनः समतल कर दिया गया था। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी को बिना सक्षम साक्ष्य के पश्चातवृति अतिक्रमी माना है जो गलत है। न्यायालय अपीलांट की इस बात से सहमत नहीं है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सरपंच ग्राम पंचायत गैर मुमकीन रास्ते में पाइपलाईन डालने हेतु स्वीकृति दे सकता है। यह स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। प्रथम अपील में पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवृति अतिक्रमण बाबत पत्रावली पर साक्ष्य न होने के बावजूद तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय को यथावत रखने में भूल की है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2019 उनवानी सरकार बनाम धर्मीचन्द निर्णय दिनांक 02.05.2019 एवं प्रकरण संख्या 8/2019 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 04.07.2019 को सिविल कारावास की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested